A4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 23/2021
जीसीएमएस नम्बर : 2021/46

प्रार्थी:–
विकास अधिकारी, पचांयत समिति रानी
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां
2. रमेशचंद/मोपाराम साटिया निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 25.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया। नियम 158 के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को रियायती दर पर पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु जैर निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी कमजोर वर्ग से नहीं है क्योकि प्रार्थी का दूसरा पक्का मकान पहले से ही है और वह उसमें निवासरत है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा भीमाराम पुत्र तिलोक खटीक के कब्जासुदा भूखण्ड पर विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रमेशचन्द्र पुत्र मोपाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 25.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 18.03.2019 को कब्जा सुदा मकान का निःशुल्क पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। जिसके आधार पर दिनांक 18.03.2019 को मिसल कायम की गयी तथा आज्ञा दिनांक 05.08.2019 के द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की समिति गठित की जाकर मौका निरीक्षण एवं सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें रिक्त स्थान छोडकर आवदेक की जानकारी, वार्डपंच का नाम, दिनांक आदि का हस्तलिखित अंकन से किया गया है। साथ ही प्रत्येक दिनांक की कार्यवाही अलग अलग कागज पर निर्धारित प्रपत्र में प्रिंट की हुई है। आज्ञा दिनांक 05.09.2019 में अंकितानुसार नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी किया गया था, मगर निर्धारित म्याद में किसी ने भी कोई आपत्ति पेश नहीं की है तथा अप्रार्थी गरीब परिवार से है व इस भूमि पर इसके अलावा किसी अन्य का हक नहीं है, इसलिये सर्वसम्मति नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया परन्तु इससे पूर्व की किसी भी आज्ञा दिनांक में कही पर भी यह अंकित नहीं किया हुआ है कि नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तहार जारी किया जाये अर्थात् ग्राम पंचायत ने आपत्ति ईश्तहार जारी किये जाने एवं दो स्वतंत्र गवाहों के बयान का प्रस्ताव लिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.08.2019 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, न ही मिसल के साथ दो स्वतंत्र गवाहों के बयान संलग्न है।

पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति रानी स्टेशन के पत्र दिनांक 22.06.2018 के द्वारा विकास अधिकारी रानी स्टेशन को प्रेषित भीमाराम पुत्र त्रिलोक खटीक, निवासी रानीकलां से सम्बन्धित जांच प्रतिवेदन में यह अंकित किया कि मौका स्थिति एवं दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि यह प्लॉट भीमाराम पुत्र त्रिलोक खटीक का ही है। सरपंच की सहमति से ही इस प्लाट पर शांति पत्नी रमेश साटिया द्वारा कब्जा कराये जाने का अदेंशा होता है, शांति पत्नी रमेश साटिया के पास इस भूमि से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज नहीं है तथा ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि जो यह दर्शाता है कि भूमि से शांति पत्नी रमेश साटिया का कोई सम्बन्ध है। साथ ही जांच प्रतिवेदन के संलग्न शांति पत्नी रमेश साटिया, रमेश कुमार पुत्र केसाराम जाति देवासी, कमलेश कुमार पुत्र टिकमचन्द जाति

अति. जिला कलक्टर, पाली

माली, आनन्द कुमार पुत्र वोराराम जाति खटीक के बयानों से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा भीमाराम को जारी किया गया था जिस पर शांति पत्नी रमेश ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसका ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा किया है, जो खारिज योग्य है।

पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में अंकितानुसार क्रं.सं. 11 पर अंकित रमेशचंद/मोपाराम को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। क्योकि नियम 158 के तहत रियायती दर पर या निःशुल्क पट्टे सिर्फ उन्ही को जारी कर सकते है, जिनका पूर्व में कही भी आवासीय मकान बना हुआ नहीं हो तथा प्रार्थी बी.पी.एल. एस.सी., एस.टी., आदि हो परन्तु पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत जिनको भी पट्टे जारी किये गये है उन सभी के पूर्व में आवासीय मकान बने हुए है तथा वे सभी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न परिवार है। जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 4 (F) में यह स्पष्ट अंकित है कि रमेशचंद/मेपाराम साटिया को नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 23 दिनांक 25.09.2019 निःशुल्क जारी किया गया है जो कुल 1400 वर्गफीट है। यह भूमि वास्तविक रूप से भीमाराम पुत्र त्रिलोक खटीक की है, जिनके द्वारा इस पर लगभग 20–25 वर्ष लगभग 2.5 फिट तक कुर्सीया तक का कार्य किया हुआ था तथा यह भूमि भीमाराम के अधीन ही थी, जिस पर शांति पत्नी रमेश द्वारा अतिक्रमण कर रखा था और ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 जो शांति का पति है, के पक्ष मे जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टा नियम विरूद्ध व जाल साजी करके जारी किया गया है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। जिससे भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 18.03.2019 को कब्जा सुदा मकान का निःशुल्क पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर मिसल कायम की गयी। सम्पूर्ण मिसल एक निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटर टाईप है, साथ ही प्रत्येक दिनांक की कार्यवाही अलग अलग कागज पर निर्धारित प्रपत्र में प्रिंट की हुई है। आज्ञा दिनांक 05.09.2019 में नियम 148 के तहत आपत्ति पत्र पर कोई आपत्ति पेश नहीं होना बताते हुये नियम 158 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया परन्तु इससे पूर्व कि किसी भी आज्ञा दिनांक में नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तहार जारी किये जाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया। अर्थात् ग्राम पंचायत ने आपत्ति ईश्तहार जारी किये जाने एवं दो स्वतंत्र गवाहों के बयान का प्रस्ताव लिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। साथ ही ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर, पाली

द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.08.2019 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, न ही मिसल के साथ दो स्वतंत्र गवाहों के बयान संलग्न है। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति रानी स्टेशन के पत्र दिनांक 22.06.2018 के द्वारा विकास अधिकारी रानी स्टेशन को प्रेषित जांच प्रतिवेदन तथा पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन से भी यह सुस्पष्ट विधित होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा किया है। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 4 (F) में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध व जाल साजी करके जारी किया गया है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 रमेशचंद पुत्र मोपाराम साटिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 25.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुंले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली